न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/54 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 20.05.2024**

उनवान

मांगीलाल पुत्र बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1. गोकुल प्रसाद वल्द बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2. मोहनलाल पुत्र बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, हाल वृन्दावन कॉलोनी, अकलेरा, जिला झालावाड
3. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/56 (अंतिम डिक्री) **दायरा दिनांक : 20.05.2024**

उनवान

मांगीलाल पुत्र बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1. गोकुल प्रसाद वल्द बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2. मोहनलाल पुत्र बापूलाल, जाति लुहार, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, हाल वृन्दावन कॉलोनी, अकलेरा, जिला झालावाड
3. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.05.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 34/दावा/2020 निर्णय व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 28.02.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिन्दायका, तहसील अकलेरा के माल में शामलाती खाते व कब्जे काश्त की नयी खतौनी संख्या 305 की खसरा नम्बर 151 की 14. 19 बीघा, 784 की 7.08 बीघा, 795 की 4.02 बीघा, 796 की 1.04 बीघा, 797 की 0.06 बीघा, 799 की 3.07 बीघा, 800 की 0.08 बीघा, 842 की 8.04 बीघा, 1214 की 1.16 बीघा, 1220 की 2.17 बीघा कुल जुम्ला 10 किता की 44.11 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 28.02.2023 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2024/54 **(प्राथमिक डिक्री)** के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री व निर्णय एक तरफा में पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम बिन्दायका, तहसील अकलेरा के माल में कुल 10 किता की 44 बीघा 11 बिस्वा में से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 का 1/3 हिस्सा मानकर पृथक खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, परन्तु उक्त आदेश में अपीलान्ट मांगीलाल की आराजी का कोई हवाला अंकित नहीं है। इस कारण से प्राथमिक डिक्री व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय का खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये किसी भी सम्मन की अपीलान्ट मांगीलाल पर प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से 2 सम्माननीय व्यक्तियों की मौजूदगी मे इत्तला नहीं करवायी गयी है, और न ही उक्त सम्मन पर अपीलान्ट की इत्तला का समय ही अंकित किया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 04.03.2021 को करके तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स वादीगण के बयान लेकर गलत तौर पर फाईनल डिक्री व आदेश पारित कर दिया जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री व निर्णय में अपीलान्ट मांगीलाल की आराजी का कोई हवाला नहीं दिया है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रेस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय एक तरफा को निरस्त फरमाते हुए उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब एवं साक्ष्य हेतु रिमान्ड किये जाने हेतु आदेश फरमाये जावे।

अपील संख्या 2024/56 **(फाइनल डिक्री)** के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री व आदेश एक तरफा में पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को पेपर पार्टीशन करते समय विवादित आराजी के समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब करना चाहिये था एवं समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार को मौके पर जाकर पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिये था। जो कि उक्त प्रकरण में तैयार नहीं की गयी है और न ही पक्षकारों से कोई आपत्तियां ही मांगी गयी है, उक्त प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त गेहूँखेडी के द्वारा दिनांक 21.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

09.2022 को पेपर पार्टीशन अवैधानिक रूप से तैयार की गयी है तथा तहसीलदार के कार्यालय में जाकर हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण से उक्त पेपर पार्टीशन के आधार पर गलत तौर पर फाईनल डिक्री जारी की गयी है वह कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि पेपर पार्टीशन करते वक्त पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारों की मौजूदगी में विधिवत रूप से विभाजन करना चाहिये था, जो कि उक्त प्रकरण में नहीं किया गया है, इस कारण से योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री व आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाइनल डिक्री व आदेश को निरस्त फरमाते हुए उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब एवं साक्ष्य हेतु रिमान्ड किये जाने हेतु आदेश फरमाये जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया और प्रकरण में एक तरफा निर्णय व डिकी पारित कर दी गई। सम्मन पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है, सम्मन पर समय व दिनांक भी अंकित नहीं है। आई.एल.आर. ने मौका रिपोर्ट तैयार की, तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपास्त की जाये। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर.आर.डी. 2019 पेज 206, आर.आर.डी. 2019 पेज 577, आर.आर.डी. 2010 पेज 647 व आर.एल.डब्ल्यू. 1976 पेज 1 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि मांगीलाल, गोकुल, मोहनलाल तीनों भाई हैं और 1/3 हिस्से की ही डिकी जारी की गई है। सम्मन पर पुत्र के हस्ताक्षर हैं और हस्ताक्षरकर्ता जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र नहीं है इस सन्दर्भ में अपील में कोई तथ्य अंकित नहीं किया और ना ही जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र अंकित नहीं है, इस सन्दर्भ में शपथ पत्र ही पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने 1/3 हिस्सा दिया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले समान प्रकृति की और समान पक्षकारों के मध्य होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम बिन्दायका, तहसील अकलेरा की खाता संख्या 305 की कुल 10 किता की 44.11 बीघा विवादित आराजी को शामलाती खाते की आराजी बताते हुए अपने हिस्से की 1/3, 1/3 आराजी का विभाजन कर अपने पृथक खाते दर्ज करने तथा नापकर कब्जा संभलाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपीलांट ने मुख्य रूप से कथन किया है कि सम्मन की तामील अपीलांट पर प्रत्येक्ष या अप्रत्येक्ष रूप से 2 सम्मानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में नहीं करवायी गयी और न ही सम्मन पर अपीलांट की इत्तला का समय अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मन की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सम्मन की तामील प्रतिवादी मांगीलाल पर व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई है। सम्मन पर तामीलकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि एक प्रति मांगीलाल के पुत्र को दे दी गई है पुत्र जगदीश प्रसाद के हस्ताक्षर अंकित है परन्तु मांगीलाल पर व्यक्तिगत रूप से तामील क्यों नहीं हो पायी इस सन्दर्भ में रिपोर्ट में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। ना ही मांगीलाल के पुत्र जगदीश प्रसाद की पहचान करने वाले किसी व्यक्ति का नाम, पता अंकित है। सम्मन की तामील प्रतिवादी अपीलांट पर सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः विधिक रूप से सम्मन की तामील प्रतिवादी अपीलांट पर नहीं होने के कारण अपीलांट के विरूद्ध की गयी एक तरफा कार्यवाही को हम विधिक रूप से उचित नहीं समझते। अपीलांट के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित एक तरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में जो बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.02.2023 के साथ सलंग्न कर उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को प्रेषित किया गया है, उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह बंटवारा पत्र आई.एल.आर. एवं पटवारी द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तैयार किया गया है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955, के नियम 18 से 21 के तहत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय ने आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज कर निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा पेश दोनों अपीलें अपील संख्या 2024/54 (प्राथमिक डिक्री) एवं अपील संख्या 2024/56 (फाइनल डिक्री) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2023 विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ कोटा ★